

अपील संख्या:- 12/196/2019

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

प्रताप सिंह एडवोकेट कोर्ट कैम्पस बहरोड  
तहसील बहरोड जिला अलवर।

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति० जिला  
कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 02-12-2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 28.09.2019 के माध्यम से पूर्व में जिला कलक्टर महोदय अलवर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.09.19 के संबंध में आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वाँछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 25.11.2019 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 2482 दिनांक 19.11.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा०पत्र० दिनांक 28.09.19 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को पत्रांक 2351 दिनांक 24.10.19 से चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिसमें अपीलार्थी को सूचना प्राप्ति हेतु 02/-प्रति पेंज की दर से राशि रूपये 4/-जमा राजकोष कराने हेतु लिखा जा चुका है, अपीलार्थी निर्धारित शुल्क जमा राजकोष कराकर सूचना प्राप्त कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी के जबाब से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
5. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
6. निर्णय आज दिनांक 02.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(इन्द्रजीत सिंह)  
जिला कलक्टर, अलवर  
अलवर (राज०)